(52)

संख्या– 3318 / एस.सी.एस.पी. III–2/06–09(प्रा.आ.)/06 टी.सी.।

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक/2 दिसम्बर,2006

विषय – वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत 30 (तीस) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा ... कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत 30 (तीस) नये कार्यों के रूपये ... लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 3553.46 लाख (रू0 पैंतीस करोड़ तिरपन लाख छियालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो की स्वीकृति निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ... भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा क्षति का भुगतान निम्नानुसार ... आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये ...

कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित करा निम्नानुसार ...

P.C. attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

P/C attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

... विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य ... सुनिश्चित करें।

7 कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8 आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9 निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

P/C attested

A.E.

... कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत ... है ...
... न किया जाये।